

23⁹/₂₀₂₁

पञ्चमी वेश (हरी) इस्तिवत प्रानी एवं
 इस्तिवत विपरी संख्या 1, 9 उद्योग
 इस्तिवत विपरी 3, 12 एवं विपरी संख्या
 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17 इन्धु (हरी)
 आवाज लावाई गयी उद्योग नहीं। अतः इन्धु
 विपरी एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं।
 इस्तिवत प्रानी के पत्र क्र 022 R 2 CPC एवं
 अपडिटेड धारा 151 CPC प्रकृत का निवेदन किया
 कि विपरी संख्या 6 टाइटली पत्नी के माध्यम से
 दिनांक 29-8-2021 मृत्यु हो चुकी है एवं मृतका
 के वारिस विपरी संख्या 7 हैं। प्रकाश में
 पूर्व से ही पसका है। अतः मृतका विपरी संख्या
 6 का तर्क फिर जाने का आदेश व्यर्थ। युक्ति
 मृतका के वारिस पूर्व से ही प्रकृत में पसका संश्लेषित
 है, अतः प्रानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
 विपरी सं. 6 का नाम टाइटली से तर्क फिर जाने के आदेश
 दिए जाते हैं।

2021
111

उद्योग इस्तिवत उभय पक्ष के
 निवेदन पर सह उद्योग लुकी गयी। उद्योग
 पक्ष के ~~अपसक~~ इस्तिवत वार पक्ष के
 निवेदन तक मौका एवं रेकार्ड की स्थिति
 बनाये रखने हेतु सहमत हैं। अतः



(स्वामी तुलार विस्नोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधीक्षक
 चित्तौड़गढ़ (स.प.)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता
अहकाम
हुकम की त
में जारी

पश्चात्तः को जरिर अल्फायी निवेदाणा
से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि
ग्राम पाण्डोली तहसील पाण्डोली जिला
चिचोडगा की रकती संख्या 133 एवं
रकती संख्या 134 से बरिदि आशजीभा
को ता फैलला वाद किली को रहन, बह,
बशीस नदी को एवं रेकाडि तन्ना मोपरा
की यन्ना ब्रिती व नार रहे। निजीम लिखा
जावा हुगाया गया।

पश्चात्तः केसल शुम्मा होकर
नाम्बर से कस हो एवं मुज वाद पश
पश्चात्तः 45/2021 के साथ सलगा की
रहे।

(श्याम सुन्दर विस्वाइ)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिचोडगा (स.ग.)